न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर
नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 549 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 पदमाराम 2.अर्जनराम 3.थानाराम पिसरान जैसाराम 4. भीखो पत्नी जैसाराम जातियान जाट निवासीयान चवानाडा हुडो की ढाणी तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर		1.भेराराम पुत्र चिमाराम 2.राजो पत्नी चिमाराम 3.गुलाबी देवी पत्नी वीरमाराम 4. पुखराज 5.प्रेम कुमार 6.मनोहर 7.श्रवण पिसरान वीरमाराम जातियान भाट निवासीयान चवानाडा हुडो की ढाणी तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर 8.मुकेश कुमार 9.रघुनाथ राम 10.लक्ष्मणसिंह पिसरान हनुमानराम 11.लिखमाराम पुत्र बगताराम 12.खेताराम पुत्र लिखमाराम 13. धुड़ी पत्नी हनुमानराम जातियान जाट निवासीयान चवानाडा हुडो की ढाणी तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर 4. तहसीलदार बाटाडू।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. श्री पूनमसिंह चौधरी, वकील प्रार्थीगण।
2. श्री निम्बाराम बेनीवाल वकील अप्रार्थीगण संख्या 8 से 13

आदेश

दिनांक 02/05/2025

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 79/316 रकबा 19.4160 हैक्टेयर मौजा चवानाडा पटवार हल्का कोसरिया तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेंर में आई हुई है जिस पर प्राथीगण का निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण के पिता जैसा पुत्र कुंभा द्वारा उक्त खातेदारी की भूमि मूल खसरा 360 में से पूर्व खातेदार हिमथा वल्द बादरा जाति भाट द्वारा जरिये बेचान खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया था जो आवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ठ "अ" के अनुसार है। प्रार्थीगण की भूमि मूल खसरा संख्या 360 में से कुछ भूमि अन्य व्यक्तियों द्वारा भी खरीद की गई जिसके खसरा संख्या 79, 364/79, 362/79 रकबा क्रमश 10.1206, 10.1125, 10.1206 है व प्रार्थीगण का खसरा संख्या 79/316 रकबा 19.4160 हैक्टेयर मौजा चवानाडा पटवार हल्का कोसरिया तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेंर में आया हुआ है, जिनकी मौके पर संलग्न परिशिष्ठ "अ" के अनुसार काबिज है लेकिन राजस्व रिकार्ड में तरमीम संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार है जो कि गलत है जिसे सही कर हुई गलत तरमीम दुरस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी हैं। अतः मौजा चवानाडा पटवार हल्का कोसरिया तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेंर के मूल खसरा संख्या 360 में से विभक्त खसरा संख्या 79, 364/79, 362/79 रकबा क्रमश 10.1206, 10.1125, 10.1206 है व प्रार्थीगण का खसरा संख्या 79/316 रकबा 19.4160 हैक्टेयर की लट्ठा ट्रेस में की गई अशुद्ध व

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.04 16:28:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

गलत तरमीम को दुरस्त कर मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार लट्ठा ट्रेस सही तरमीम का आदेश फरमावे।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर तहसीलदार से मौका व रेकर्ड की रिपोर्ट तलब की गई। वकील अप्रार्थीगण संख्या 08 से 13 उपस्थित, शेष अप्रार्थीगण एकपक्षीय।

अप्रार्थीगण संख्या 08 से 12 के द्वारा जवाब पेश किया गया है कि खेत खसरा संख्या 364/79 मौजा चवानाडा, हुडो की ढाणी में खातेदार लिखमाराम ने 62.10 बीघा भूमि सन 2021 खरीदी थी उससे पूर्व खातेदार खेताराम ने खसरा संख्या 79 में से 20 बीघा खेत खरीदा था, पदमाराम वगैरा ने आज से करीब 60 वर्ष पूर्व उक्त खेत खसरा संख्या 79 में से 120 बीघा खेत खरीदा था सभी खातेदारान का बंटवाड़ सन 2003 में हो चुका हैं। पदमाराम वगैरा द्वारा खेत खरीदने के पश्चात मूल खातेदार राव(भाट) जो चार भाई थे, सभी ने अलग–अलग खरीददारों को बेचान किया था। मूल खातेदारी खसरा संख्या 79 में से भंवराराम पुत्र आईदान से मोटाराम ने 20 बीघा का खेत खरीदा था। मूल खातेदार शंकराराम पूत्र देवाराम से खरीददार लिखमाराम ने 62 बीघा खेत खीरदा था। खसरा संख्या 79/2 के खातेदार मंगलाराम पुत्र शिवजी ने जैन को बेचा था तथा बाद में जैन खातेदार से रूगनाथराम वगैरा ने 62.10 बीघा खेत खरीदा था। लिखमाराम ने अपने खेत के सीमाज्ञान हेतू आवेदन किया। तथा प्रार्थीगण को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा नेखम स्थापित करने का आदेश दिया तब नेखमबंदी की कार्यवाहीं के दौरान प्रार्थी पदमाराम वगैरा ने परेशान व तंग करने के उदेश्य से माननीय न्यायालय में तरमीम दुरस्ती का आवेदन पेश कर स्थगन आदेश ले लिया हैं जो गलत एंव अवैद्यानिक है, प्रार्थीगण द्वारा केवल नेखमबंदी की कार्यवाहीं को रोकने के उदेश्य से हीं यह आवेदन पेश किया है जिसको खारीज फरमाया जावें।

प्रकरण में तहसीलदार बाटाडू द्वारा मौका रिपोर्ट अपने पत्रांक भू.अ./2025/186 दिनांक 11.02.2025 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि खसरा संख्या 79, 364/79, 362/79 व 79/316 मौजा चवानाडा पटवार हल्का हुडो की ढाणी का मौका निरीक्षण पक्षकारान की उपस्थिति में किया गया, उक्त खसरान की पैमाईश जरीब चलाकर की गई जिससे वर्तमान लट्ठा एंव [illegible] भिन्नता पाई गई, वर्तमान तरमीम को परिशिष्ट "अ" में प्रदर्शित किया गया, जबकि [illegible] अनुसार तरमीम दुरस्ती हेतु परिशिष्ट "ब" अनुसार दर्शाया गया है। [illegible] 310.02 बीघा में से जरिए बेचान हिमथा वल्द बादरा जाति भाट ने जैसा वल्द [illegible] जाति जाट को दिनांक 19.11.1958 को जरिये रजिस्ट्री कमांक 339–340 में उक्त खसरा संख्या में से 120 बीघा का बेचान कर दिया गया। मूल राजस्व गांव हुडो की ढाणी के ना.क.स. 17 से उक्त बेचान भूमि का राजस्व अभिलेख में खसरा संख्या 79/316 रकबा 120 बीघा अमलदरामद किया गया, जिसकी पुस्त पर तरमीम अक्ष दर्ज किया हुआ नहीं है जबकि पंजीयन दस्तावेज में खेत के उतरी दिशा में बाटाडू सीमा उक्त बेचान दर्शाया गया हैं। विप्रार्थीगण भैराराम वगेरा ने शेष भूमि खसरा संख्या 79 रकबा 250.02 बीघा शामलाती भूमि का विभाजन श्रीमान उपखण्ड अधिकारी शिव

उप खण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.04 16:28:33 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा राजस्व वाद संख्या 64/94 निर्णय दिनांक 24.11.2001 की पालना में विभाजन होने से मूल ग्राम हुडो की ढाणी के ना.क.स. 367 दिनांक 03.03.2004 से खसरा संख्या 79 रकबा 62.11 बीघा भंवरा, वीरमा पिसरान आईदान कौम भाट, खसरा संख्या 79/1 रकबा 62.11 बीघा भूमि चिमा वल्द हिमथा कौम भाट, खसरा संख्या 79/2 रकबा 62.10 बीघा मंगला पिता शिवजी भाट, खसरा संख्या 79/3 रकबा 62.10 बीघा भूमि शंकरा वल्द देवा कौम भाट के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया। नामान्तकरण संख्या 367 की पुश्तपेज पर तरमीम नक्शा इन्द्राज किया हुआ है जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड लट्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम अनुसार हैं। मौके पर खातेदार व मौतबिरान की उपस्थिति में मौका निरीक्षण एंव पैमाईश अनुसार खसरा खसरा संख्या 79/316 रकबा 19.4160 है, लट्ठा ट्रेस की तरमीम में कब्जा काश्त बाड़ वगैरा भिन्न हैं जिसको परिशिष्ठ "ब" अनुसार खसरा संख्या 79 के विभाजित खसरा संख्या 79/316, 362/79, 363/79, 364/79 की नई प्रस्तावित तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "ब" के अनुसार दुरस्त किया जाना उचित हैं ।

मौजा चवानाडा, पटवार हल्का हुडो की ढाणी तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर के उक्त खसरों की तरमीम लट्ठा ट्रेस में मौके अनुसार न होकर अशुद्ध तरमीम संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है, तथा मौके पर कब्जा संलग्न नक्शा परिशिष्ट "ब" अनुसार है। दोनो पक्षकारान प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा मौका पर कब्जा अनुसार तरमीम दुरस्त करने पर सहमति प्रदान करते हुए हस्ताक्षर किये हैं। तहसीलदार बाटाडू की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित हैं प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती से किसी भी काश्तकार का रकबा प्रभावित नहीं हो रहा है तथा सभी पक्षकारान इससे सहमत है। अधिवक्ता पक्षकारान ने न्यायालय में मौका रिपोर्ट पर सहमति प्रकट की हैं।

उक्त मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों को सुना गया। उभय पक्षों द्वारा तहसीलदार बाटाडू की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौजा चवानाडा पटवार हल्का हुडो की ढाणी तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 79 के विभाजित खसरा संख्या 79/316 रकबा 19.4160 हैक्टेयर, 362/79 रकबा 10.1206 हैक्टेयर, 363/79, 364/79 रकबा 10.1125 हैक्टेयर की लट्ठा ट्रेस में अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने पर अपनी सहमति प्रकट की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2074–2077, नक्शों एवं संलग्न परिशिष्टों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाटाडू ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौका पर कब्जा संलग्न नक्शा परिशिष्ठ "ब" के अनुसार है तथा प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती हेतु खातेदार द्वारा सहमति प्रकट की गई है। अतः मौजा चवानाडा पटवार हल्का हुडो की ढाणी तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 79 के विभाजित खसरा संख्या 79/316 रकबा 19.4160 हैक्टेयर, 362/79 रकबा 10.1206 हैक्टेयर, 363/79 रकबा 364/79 रकबा 10.1125 हैक्टेयर भूमि की संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। लिहाजा मौजा चवानाडा पटवार हल्का हुडो की ढाणी तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 79 के विभाजित खसरा संख्या 79/316 रकबा 19.4160 हैक्टेयर, 362/79 रकबा 10.1206 हैक्टेयर, 363/79 रकबा 364/79 रकबा 10.1125 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान लट्ठा ट्रेस तरमीम को निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.04 16:28:33 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

करते हुए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र उभय पक्षों की सहमति पर स्वीकार किया जाकर मौजा चवानाडा पटवार हल्का हुडो की ढाणी तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 79 के विभाजित खसरा संख्या 79/316 रकबा 19.4160 हैक्टेयर, 362/79 रकबा 10.1206 हैक्टेयर, 363/79, 364/79 रकबा 10.1125 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम जो कि प्रपत्र "अ" के अनुसार है को निरस्त की जाकर तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ "ब" अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ "ब" आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 02/05/2025 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.04 16:28:33 IST
Reason: SelfAttested